# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–छतरपुर

मनोज पुत्र श्री गजाधर सोनी
निवासी – राजनगर तहसील
राजनगर जिला–छतरपुर (म.प्र.)
..... आवेदक

विरूद्ध

1– नंदकिशोर पुत्र श्री मूरत सिंह राव
2– मतराम पुत्र श्री दमरू
3– गंगुवा पुत्र श्री मूलुआ चमार
4– प्रेमबाई पत्नी श्री सियाराम राव
5– राजाराम पुत्र श्री नत्थू
6– छन्नू पुत्र श्री नत्थू
7– दुर्गा बेवा नत्थू
8– किशोरी पुत्र श्री फगदी नाई
9– मुन्नीलाल पुत्र श्री भंजन नाई
10– तुलसीदास पुत्र श्री भंजन नाई
निवासीगण– देवगॉव, तहसील राजनगर, जिला–छतरपुर (म.प्र)
.....अनावेदकगण

**न्यायालय/कार्यालय नायब तहसीलदार राजनगर मण्डल वसारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 14.08.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

**मामले के संक्षिप्त तथ्य :**

1. यहकि, आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार के न्यायालय में एक आवेदन पत्र धारा 129 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत इस आशय से प्रस्तुत किया गया। कि ग्राम देवगढ़ राजस्व निरीक्षक मण्डल वसारी तहसील राजनगर में स्थित भूमि खसरा नं. 782 रकवा 0.809 है0 भूमि का सीमांकन किया जाये।
2. यहकि, राजस्व निरीक्षक मण्डल द्वारा विधिवत् रूप से प्रकरण क्रमांक पंजीबद्ध कर प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ की गयी। कार्यवाही के दौरान

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** निगरानी-2759-दो/2015 जिला छतरपुर मनोज विरूद्ध नंदकिशोर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 20-02-2019 | 1. प्रकरण प्रस्तुत ।<br>2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।<br>3. प्रस्तुत निगरानी नायब तहसीलदार राजनगर के प्रकरण क्रमांक 1/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 14-08-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।<br>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।<br>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजनगर को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।<br><br>(आर के जैन)<br>सदस्य<br>20/2/2019 | |